महत्वपूर्ण एवं खास

रायगढ़ जिले के नवपदस्थ कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने किया पदभार ग्रहण

रायगढ़ जिले के 51 वें कलेक्टर के रूप में किया पदभार ग्रहण

रायगढ़। रायगढ़ जिले के नवपदस्थ कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने आज कलेक्टोरेट में जिले के 51 वें कलेक्टर के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत जितेन्द्र यादव, अपर कलेक्टर अपूर्व प्रियेश टोप्पो, अपर कलेक्टर रवि राही सहित जिले के अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी भारतीय प्रशासनिक सेवा के 2017 बैच के अधिकारी हैं। इसके पूर्व वे कलेक्टर दंतेवाड़ा, सीईओ जिला पंचायत धमतरी व नगर निगम आयुक्त रायपुर के पद पर पदस्थ रहे हैं। पदभार ग्रहण करने के पश्चात कलेक्टर मयंक चतुर्वेदी ने कलेक्ट्रेट भवन का भ्रमण कर कार्यालयों का निरीक्षण किया।

शासकीय आईटीआई भटगांव में 29 अप्रैल को होगा प्लेसमेंट कैम्प

आईटीआई उत्तीर्ण युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर

सारंगढ़ बिलाईगढ़। राज्य शासन द्वारा विभिन्न ट्रेडों में आईटीआई उत्तीर्ण युवाओं के लिए रोजगार का सुनहरा अवसर प्रदान किया गया है। सुजुकी मोटर गुजरात द्वारा 300 पदों पर नियुक्ति हेतु शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आईटीआई) भटगांव में 29 अप्रैल मंगलवार को सुबह 9.30 बजे प्लेसमेंट कैंप का इंटरव्यू आयोजित किया गया है। संस्था के प्राचार्य ने बताया कि इसमें 18 से 26 वर्ष के युवा साक्षात्कार में भाग ले सकेंगे। साथ ही इसमें 24 हजार 550 रुपए की मासिक वेतन एवम अन्य सुविधाएं कंपनी द्वारा दी जाएगी। इस संबंध में जानकारी के लिए मोबाईल नंबर 8770483564, 9770676439 पर संपर्क कर सकते हैं।

पालना केन्द्र सारंगढ़ के कार्यकर्ता एवं सहायिका की सूची जारी : 5 मई तक दावा आपत्ति आमंत्रित

सारंगढ़ बिलाईगढ़। एकीकृत बाल विकास परियोजना सारंगढ़ के नगरपालिका सारंगढ़ क्षेत्रांतर्गत पालना केन्द्र कार्यकर्ता एवं सहायिका पद हेतु पालना केन्द्र वार्ड कमांक 03 के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदन आमंत्रित किये गये थे। प्राप्त आवेदनों का मूल्यांकन समिति द्वारा सूक्ष्म परीक्षण उपरांत अनंतिम मूल्यांकन पत्रक तैयार कर दावा आपत्ति हेतु प्रकाशन किया गया है। प्रकाशित अनतिंम मूल्यांकन पत्रक में जिस किसी अभ्यर्थी, आवेदिकाओं को किसी प्रकार का कोई दावा आपत्ति हो तो, वे 5 मई 2025 को शाम 5:30 बजे तक कार्यालयीन समय में उपस्थित होकर दस्तावेजी साक्ष्य सहित अपना दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। दावा आपत्ति में किसी भी प्रकार के नवीन दस्तावेज स्वीकार नही किया जायेगा। केवल कार्यालयीन स्तर से हुई लिपिकीय त्रुटि पर दावा आपत्ति मान्य होगा। नियत तिथि व समय पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर तथा ऑटोमोबाइल के छात्रों को वितरण किया गया इंटर्नशिप पूर्णता प्रमाण-पत्र

रायगढ़

शासकीय हेमसुंदर गुप्त उत्कृष्ट हिंदी माध्यम विद्यालय में आज प्राचार्य जे. सुजाता राव के मार्गदर्शन में व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिसमें व्यावसायिक शिक्षा के तहत आसपास के विभिन्न संस्थाओं में इंटर्नशिप पूर्ण करने पर विद्यार्थियों को सर्टिफिकेट का वितरण किया गया और उन्हें करियर से संबंधित जानकारी प्रदान की गई।

महापल्ली विद्यालय में विद्यार्थियों को परंपरागत विषयों के साथ लगातार अन्य शैक्षणिक गतिविधियों से भी अवगत कराया जा रहा है। इसी कड़ी में स्कूली बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर तथा ऑटोमोबाइल ट्रेड को मुख्य विषय के रूप में पढ़ाया जाता है जिसमें प्रेक्टिकल एक्स्पोजर की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्कूल में संचालित दोनों पाठ्यक्रम में 10 दिनों का इंटर्नशिप कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। जहां बच्चों ने दोनों ट्रेड से संबंधित जानकारी को बारीकी से सीखा और समझा। भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय व छत्तीसगढ़ राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों के लिए हर साल इंटर्नशिप कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसमें सभी व्यावसायिक शिक्षा में भाग ले रहे विद्यार्थियों को व्यावसायिक ट्रेड से संबंधित किसी भी संस्थान में 10 दिवस अपना इंटर्नशिप कार्य पूर्ण करना अनिवार्य होता है। जिससे विद्यार्थी अपने ट्रेड से संबंधित प्रायोगिक ज्ञान को एवं मार्केट में उपस्थित सभी जॉब प्रोफाइल को भली-भांति समझ सके। विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 11वीं एवं 12वीं इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर में कुल 67 विद्यार्थियों ने इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित जानकारी को इंटर्नशिप के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से देखा और समझा तथा ऑटोमोबाइल में कुल 19 विद्यार्थियों ने आसपास के शोरूम एवं गैराज में कार्यों को बारीकी से देखा समझा और विभिन्न जॉब रोल के कार्यों को सीखकर अपना इंटर्नशिप पूर्ण किया।

हेमसुंदर गुप्त शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के इंटर्नशिप करने वाले बच्चों को महापल्ली की जनपद सदस्य कुमुदिनी गुप्ता एवं एसएमडीसी अध्यक्ष टीकाराम प्रधान के द्वारा सर्टिफिकेट का वितरण किया गया। जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल ट्रेड से संबंधित संस्थानों में 10 दिवसीय इंटर्नशिप में भाग लिया था।

इन स्थानों पर विद्यार्थियों ने 10 दिन तक किया इंटर्नशिप

इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर ट्रेड में अवनी इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सुनील इलेक्ट्रॉनिक्स, विशवाल इलेक्ट्रॉनिक्स, पटेल इलेक्ट्रॉनिक्स, गणपति मोबाइल परी मोबाइल प्रीति मोबाइल एंड रिपेयरिंग सेंटर, दीपक इलेक्ट्रॉनिक, दिनेश इलेक्ट्रॉनिक्स तथा ऑटोमोबाइल ट्रेड से साहू ऑटोमोबाइल्स महापल्ली एवं गीतांजलि ऑटोमोबाइल्स महापल्ली और तुला ऑटो सेंटर साल्हेओना।

इन आयोजनों से बच्चों में आता है आत्मविश्वास

विद्यालय के प्राचार्य ने बताया कि स्कूली बच्चों को पढ़ाई के साथ अन्य गतिविधियों से अवगत कराए जाने के लिए किए जा रहे कार्यों की सभी जगह प्रशंसा होती है। इंटर्नशिप करने वाले बच्चे भी इंटर्नशिप के माध्यम से जानकारी प्राप्त करके खुद में आत्मविश्वास महसूस कर रहे हैं। बच्चे अब 12 वीं के बाद इलेक्ट्रॉनिक एंड हार्डवेयर और ऑटोमोबाइल से संबंधित क्षेत्रों में काम करने के लिए अनुभवी हो जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को करियर से जुड़े टिप्स भी दिए गए।

खरसिया पुलिस ने महिला के घर घुसकर छेड़खानी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल

रायगढ़

खरसिया थाना क्षेत्र में एक महिला से घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना के संबंध में स्थानीय महिला ने 27 अप्रैल 2025 को थाना खरसिया में लिखित आवेदन देकर नागेश्वर प्रसाद गुप्ता उम्र 40 वर्ष निवासी मल्हार थाना मस्तुरी जिला बिलासपुर (छत्तीसगढ़) के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।

महिला ने बताया कि आरोपी नागेश्वर गुप्ता वर्तमान में उनके गांव में रह रहा है। 24 अप्रैल की रात जब महिला का पति घर पर मौजूद नहीं था, तब आरोपी घर के बाड़ी की तरफ से भीतर घुस आया और सोई अवस्था में महिला से गलत नीयत से छेड़खानी करने लगा। महिला के विरोध और चिल्लाने पर आरोपी मौके से भाग गया। घटना की जानकारी महिला ने तत्काल परिजनों को दी और पति के आने पर पूरे मामले की जानकारी देते हुए थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई।

महिला की शिकायत पर प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी हर्षित मेहर, थाना प्रभारी खरसिया के निर्देशन में आरोपी नागेश्वर गुप्ता के खिलाफ अपराध क्रमांक 238/2025 धारा 331(4), 74, 75(1)(i)-BNS के तहत मामला दर्ज कर प्रधान आरक्षक सरोजनी राठौर द्वारा पीड़िता का बयान लिया गया और फिर प्रशिक्षु आईपीएस हर्षित मेहर के नेतृत्व में स्टाफ द्वारा आरोपी की पतासाजी कर तत्काल हिरासत में लिया गया। मेडिकल परीक्षण और गिरफ्तारी की अन्य कानूनी औपचारिकताओं के बाद आरोपी को आज न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है।

रायगढ़ पुलिस की बाहरी व्यक्तियों पर पैनी नजर, बिना सूचना रह रहे 41 लोगों पर की गई कार्यवाई

रायगढ़

पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा-निर्देशन में जिले भर में बाहरी राज्यों से आकर बिना सूचना दिये रह रहे व्यक्तियों की सघन जांच अभियान जारी है। इसी क्रम में आज भी विभिन्न थाना क्षेत्रों में अभियान चलाया गया, जिसमें बिना थाने में सूचना दिए रह रहे कुल 41 व्यक्तियों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है।

थाना कोतरारोड क्षेत्र में निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी के नेतृत्व में पावर ग्रिड कोतरा क्षेत्र में कार्यरत बाहरी मजदूरों की जांच की गई। जांच के दौरान प्राइवेट ठेकेदार के अधीन कार्यरत 31 व्यक्ति, जो पश्चिम बंगाल के निवासी हैं, बिना थाने में सूचना दिए पाए गए। सभी पर धारा 128 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की गई और कड़ी समझाइश दी गई। इसी तरह चक्रधरनगर थाना क्षेत्र में निरीक्षक अमित शुक्ला के नेतृत्व में ग्राम लामीदरहा, रेगड़ा और पहाड़ मंदिर में अभियान चलाया गया, जहां उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के रहने वाले 6 व्यक्ति बिना सूचना दिए फेरी का कार्य करते पाए गए। उन पर भी धारा 128 बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है।

उधर, थाना पुसौर प्रभारी निरीक्षक रामकिंकर यादव ने अपनी टीम के साथ ग्राम ठेंगापाली में जांच की, जहां पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के दो व्यक्ति बिना सूचना दिए कबाड़ का काम करते पाए गए। दोनों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। तमनार पुलिस ने ग्राम बिजना में जांच के दौरान दो ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित किया जो बिना सूचना के रह रहे थे, उन पर भी धारा 128 बीएनएसएस के तहत कार्रवाई की गई।

इसी अभियान के तहत थाना पूंजीपथरा क्षेत्र अंतर्गत प्लांट एरिया में कार्यरत दीगर प्रांत के कर्मचारियों की जांच निरीक्षक राकेश मिश्रा व उनके स्टाफ द्वारा की गई। धरमजयगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम पीपरमार और मस्जिदपारा में भी जांच की गई, जहां हाल ही में आए बाहरी व्यक्तियों ने थाना में सूचना दर्ज कराई थी। थाना प्रभारी निरीक्षक कमला पुसाम ने भी बाहरी व्यक्तियों को अवैधानिक गतिविधियों से दूर रहने की सख्त समझाइश देते हुए चेतावनी दी कि यदि कोई शिकायत पाई गई तो उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सुशासन तिहार में आवेदनों का हो रहा त्वरित निराकरण, आवेदकों के घरों तक पहुंचकर अधिकारी दे रहे दस्तावेज

तीसरे एवं अंतिम चरण में 5 से 31 मई के बीच समाधान शिविरों का होगा आयोजन

रायगढ़

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मंशानुरूप रायगढ़ जिले में सुशासन तिहार के माध्यम से शासन की जनहितैषी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं दूसरे चरण में प्राप्त आवेदनों का विभागों द्वारा त्वरित निराकरण किया जा रहा है। साथ ही सुशासन तिहार में राजस्व विभाग में प्राप्त आवेदनों का शीघ्र निराकरण कर राजस्व अधिकारी आवेदकों के घरों तक पहुंच कर ऋण पुस्तिका, त्रुटि सुधार, जाति-निवास जैसे अन्य दस्तावेज हितग्राहियों को प्रदान कर रहे है। सुशासन तिहार के तीसरे एवं अंतिम चरण में आगामी 5 से 31 मई के बीच समाधान शिविरों का आयोजन किया जाएगा।

इसी क्रम में विकासखण्ड खरसिया के ग्राम-केवाली निवासी सुखमति राठिया, ग्राम पंचायत नंदगांव डेराडीह निवासी जानकी बाई राठिया, ग्राम-पतरापाली निवासी समारी बाई एवं ग्राम-गिधा निवासी मोहनमती ने सुशासन तिहार में ऋण पुस्तिका की द्वितीय कापी के लिए आवेदन किया था। तहसीलदार खरसिया द्वारा आवेदनों का जांच किया गया। जिसमें उक्त भूमि भू-अभिलेख में आवेदिकाओं के नाम से दर्ज एवं खसरा नंबर में कब्जा होना पाया गया। जिसके पश्चात संबंधितों को उनके निवास में जाकर ऋण पुस्तिका की द्वितीय प्रति प्रदान किया गया। धरमजयगढ़ विकासखण्ड अंतर्गत तहसील छाल के ग्राम-बोजिया निवासी ओमप्रकाश राठिया ने सुशासन तिहार में ऋण पुस्तिका के संबंध में आवेदन किया था। तत्पश्चात उनके राजस्व अभिलेख की जांच पश्चात ऋण पुस्तिका की द्वितीय प्रति संबंधित आवेदक को सौंपा।

उल्लेखनीय है कि सुशासन तिहार के दूसरे चरण में लोगों से मिले आवेदनों का तेजी से निराकरण किया जा रहा है। सुशासन तिहार-2025 एक ऐसी पहल है जिसका उद्देश्य शासन प्रणाली में पारदर्शिता, जवाबदेही और जनसहभागिता को प्रोत्साहित करना है। यह न केवल सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह नागरिकों और सरकार के बीच विश्वास की मजबूत नींव भी रखता है। डिजिटल तकनीकों के माध्यम से सेवा वितरण को सरल, त्वरित और प्रभावशाली बनाना है।

ग्राम चपले में खरसिया पुलिस की बड़ी कार्यवाई: होटल से अवैध शराब की बड़ी खेप बरामद, आरोपी गिरफ्तार

रायगढ़

एसपी दिव्यांग पटेल के दिशा-निर्देशन एवं एसडीओपी खरसिया प्रभात पटेल के मार्गदर्शन में प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी हर्षित मेहर के नेतृत्व में खरसिया पुलिस अवैध कबाड़, जुआ-सट्टा एवं शराब कारोबार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है।

इसी क्रम में कल 27 अप्रैल 2025 को प्रशिक्षु आईपीएस हर्षित मेहर, थाना प्रभारी खरसिया अपने स्टाफ के साथ ग्राम भ्रमण पर थे, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम चपले में युवराज कुमार डनसेना अपने होटल दुकान में अवैध रूप से शराब बेच रहा है। सूचना की तस्दीक करते हुए पुलिस टीम ने तत्काल मौके पर रेड की कार्रवाई की, जहां आरोपी युवराज कुमार डनसेना को मौके पर पकड़ा गया। गवाहों के समक्ष होटल की तलाशी ली गई, जिसमें एक प्लास्टिक बोरी में रखे 23 नग 650 एमएल सिम्बा बीयर, 20 पाव आइकॉन व्हिस्की/वेगवाईपर अंग्रेजी शराब बरामद की गई। जप्त की गई शराब की कीमत लगभग 7,700 रुपये है। आरोपी युवराज कुमार डनसेना पिता मोतीचंद डनसेना उम्र 32 वर्ष ग्राम चपले के खिलाफ थाना खरसिया में धारा 34(2) छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। कार्रवाई में प्रशिक्षु आईपीएस हर्षित मेहर के साथ प्रधान आरक्षक संजय मिंज, अशोक देवांगन, आरक्षक सोहन यादव, योगेश साहू एवं महिला आरक्षक सलिमा टोप्पो शामिल रहे।

खरसिया में अवैध कबाड़ पर पुलिस का शिकंजा, पिकअप वाहन में लोड 2 टन कबाड़ जब्त कर की गई कार्यवाई

रायगढ़

खरसिया थाना क्षेत्र में अवैध कबाड़ के खिलाफ प्रशिक्षु आईपीएस हर्षित मेहर के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो टन कबाड़ जब्त कर एक आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की है। आज दिनांक 28 अप्रैल 2025 को दोपहर मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर प्रशिक्षु आईपीएस हर्षित मेहर, थाना प्रभारी खरसिया और हमराह स्टाफ द्वारा काली मंदिर रोड स्थित धनीराम गबेल के कबाड़ दुकान पर छापेमारी की गई।

मुखबिर से मिली सूचना के अनुसार दुकान के पीछे एक पीकअप वाहन क्रमांक CG-11-AB-1620 में अवैध रूप से कबाड़ का सामान भरा हुआ था। प्रशिक्षु आईपीएस हर्षित मेहर अपने स्टाफ के साथ ग्राम चोढ़ा, बानीपाथर और रानीसागर का भ्रमण कर ग्रामीणों से संवाद कर रहे थे, तभी सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर जाकर तस्दीक की गई। छापेमारी के दौरान पीकअप वाहन में लोहे के सरिया, पाइप, वाहनों के पट्टे, एंगल, प्लेट के टुकड़े, लोहे की चादरें और रेलिंग पाइप सहित भारी मात्रा में कबाड़ लदा पाया गया।

मौके पर धनीराम गबेल उपस्थित नहीं मिला। पूछताछ में धनीराम का रिश्तेदार राकेश गबेल पिता विजय कुमार गबेल उम्र 22 वर्ष निवासी परसा थाना मालखरौदा, हाल निवासी ग्राम छतौना, मिला। पूछताछ के दौरान राकेश गबेल कबाड़ सामग्री का कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।

राकेश के कथनों और परिस्थितियों के मद्देनजर संदेह व्यक्त किया गया कि कबाड़ चोरी का अथवा किसी अन्य अपराध से संबंधित हो सकता है। इस आधार पर आरोपी राकेश गबेल के कब्जे से लगभग दो टन वजनी कबाड़ सामग्री, जिसकी अनुमानित कीमत 50 हजार रुपये है, को धारा 106 बीएनएसएस के तहत जप्त कर विधिवत कार्रवाई की गई।

कबाड़ जब्ती की इस कार्रवाई में प्रशिक्षु आईपीएस हर्षित मेहर के साथ एएसआई उमा शंकर धृतांत, प्रधान आरक्षक अशोक देवांगन, बिरीछ राम साण्डे, सोमेश गोस्वामी और आरक्षक मनोज भारती शामिल रहे।

सेल्फ स्टडी और नियमित पढ़ाई से मिली सफलता

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने यूपीएससी में चयनित अभिषेक अग्रवाल को दी शुभकामनाएं

रायगढ़

भारतीय प्रशासनिक सेवा में 243वीं रैंक हासिल करने अभिषेक अग्रवाल को कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने शुभकामनाएं दी और शॉल और श्रीफल भेंटकर उन्हें सम्मानित किया। यूपीएससी में सफलता हासिल करने वाले अग्रवाल ने युवाओं से अपील की कि वे सेल्फ स्टडी और नियमित पढ़ाई की बदौलत सफलता हासिल कर सकते हैं। यूपीएससी में मेहनत और लगन से ही सफलता हासिल की जा सकती है। इसके सफलता के लिए उन्होंने अपने माता-पिता को श्रेय दिया। उल्लेखनीय है कि अभिषेक अग्रवाल सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी उमेश अग्रवाल के सुपुत्र हैं।

अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि सिविल सर्विसेस परीक्षा में यह उनका छठवां अटैम्प्ट था। उन्होंने लगातार पांच बार मेंस की परीक्षा दी है तथा तीन बार इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। इस वर्ष उन्हें परीक्षा में रैंक 243 हासिल हुआ है। इसके पहले वर्ष 2021 में उनका चयन 254 रैंक के साथ आईआरएस के पद पर हो चुका है। वर्तमान में अग्रवाल भारतीय वन सेना के अधिकारी हैं। उन्होंने डीपीएस स्कूल रायपुर और आईआईटी रुड़की से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हैं। बीटेक की पढ़ाई पूरा करते ही वर्ष 2016-17 में उनका चयन अखिल भारतीय इंजीनियरिंग सेवा के लिए हुआ। अभिषेक अग्रवाल कहते हैं कि मुझे व्यापक क्षेत्र में काम करने की इच्छा थी इसलिए मैंने सिविल सर्विसेज को करियर चुना।

अभिषेक अग्रवाल युवाओं से कहते हैं कि खुद पर विश्वास रखो और मेहनत करो, सफलता जरूर मिलेगी। कोचिंग के साथ आपको सेल्फ स्टडी पर ज्यादा फोकस करना चाहिए स्टैंडर्ड बुक्स पढने चाहिए। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता पाने के लिए आपको नियमित रूप से पढ़ाई करना आवश्यक है। उनका कहना है कि पढ़ाई के दौरान आप एआई टूल्स का भी उपयोग कर सकते हैं। भाषा की बाधा को भी अब एआई से पार किया जा सकता है। अब दिल्ली जाने की जरूरत नहीं। कोचिंग के अलावा सेल्फ स्टडी करो और समय-समय पर टेस्ट सीरीज देकर खुद का आंकलन करो, इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा।

अभिषेक अग्रवाल और उनके माता-पिता एवं परिजनों का एसएसपी डॉ. लाल उम्मेद सिंह, नगर निगम आयुक्त विश्वदीप जिला पंचायत सीईओ कुमार विश्वरंजन और एसडीएम नंदकुमार चौबे ने भी पुष्प गुच्छ और शाल भेंटकर सम्मानित किया।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480